



अंचल अधिकारी का कार्यालय Hehal RANCHI (झारखंड)

झारखंड सरकार के अधीन अत्यंत पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले जाति प्रमाणपत्र

सन्दर्भ संख्या : JHCBC/2021/192636

जारी करने की तिथि : 31/07/2021

प्रमाणित किया जाता है कि ABU HASAN RAZA पिता : ABID ALI ग्राम/नगर : BHITHA, थाना : GONDA जिला/प्रमंडल: RANCHI, राज्य/संघशासित प्रदेश : JHARKHAND, MOMIN-MUSLIM जाति के सदस्य हैं जो झारखंड राज्य में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची I) के रूप में झारखंड रिक्रियों एवं पदों के लिये आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम 2001 के अधीन मान्यताप्राप्त है तथा ये Islam (धर्म) को माननेवाले हैं।

2. ABU HASAN RAZA तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखंड राज्य के ग्राम/नगर : BHITHA , थाना : GONDA , जिला/प्रमंडल: RANCHI में निवास करते हैं।
3. झारखंड राज्य के अंतर्गत नियुक्तियों में अथवा उच्च शिक्षा के निमित्त तकनीकी/गैर-तकनीकी संस्थानों में दाखिले के लिये आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (फॉर्म संख्या - 11) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. यह प्रमाणपत्र अगले आदेश तक या झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की सूची में एतद्सम्बन्धी परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी:

क. यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है एवं अंकित स्थान आवेदक के स्व-घोषणा पर आधारित है।

ख. जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है:

- i) जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/ सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी
- ii) अंचल अधिकारी

ग. बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के अधीन क्रमशः पाँचवीं और छठी अनुसूची द्वारा यथासंशोधित संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जातियों के लिये) तथा संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जनजातियों के लिये) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा गठित झारखंड में रिक्रियों और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये) के लिये आरक्षण अधिनियम 2001 ।

घ. झारखंड में रिक्रियों और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये) के लिये आरक्षण अधिनियम 2001 संकल्प सं. 3885, दिनांक 05.11.2011; 801, दिनांक 11.02.2003; 3436, दिनांक 28.06.2004; 6337, दिनांक 08.12.2004; 6374, दिनांक 11.12.2004; 368, दिनांक 19.01.2006; 2759, दिनांक 01.06.2006; 3706, दिनांक 15.07.2006; 4447, दिनांक 24.08.2007; 5182, दिनांक 26.09.2006; 1604, दिनांक 28.03.2007; 243, दिनांक 11.01.2008; 5108, दिनांक 23.09.2008; 4450, दिनांक 01.08.2011; 5826, दिनांक 19.09.2011; 6987, दिनांक 26.09.2011; 6580, दिनांक 20.10.2011; 8060, दिनांक 17.12.2011; 144, दिनांक 06.01.2012; 2855, दिनांक 27.03.2012 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित।

अंचल अधिकारी Hehal का डिजिटल हस्ताक्षर ,

स्थान:Hehal
तिथि :31/07/2021